समक्ष

श्री एस.एस. संधावालिया माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और श्री ए.एस. बैंस माननीय न्यायमूर्ति

जोगिंदर सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1982 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 33

28 अप्रैल, 1983

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय)-धारा 428-आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति-क्या वे अपनी हिरासत की विचाराधीन अवधि को अपनी सजा से कम करने के हकदार हैं-ऐसी विचाराधीन अवधि-क्या समयपूर्व रिहाई निर्धारित करने के लिए गिनी जाएगी।

ये निर्धारित किया गया कि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 द्वारा सेट-ऑफ़ का लाभ आजीवन दोषियों को उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार, आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों की विचाराधीन अवधि को उनकी कुल सजा के मुकाबले कम नहीं किया जा सकता है और ऐसी अवधि को समय से पहले रिहाई के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 3 और 4)

रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, सीआर डब्ल्यू.पी. 1981 का क्रमांक 212, 20 जनवरी 1982 को निर्णय लिया गया।

खारिज कर दिया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि बंदी के मामले से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया जाए और उसके अवलोकन के बाद, यह माननीय उच्च न्यायालय निम्नलिखित जारी करता है: -

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट जिसमें कहा गया है कि जिला जेल, नाभा में आजीवन कारावास की सजा पाए बिशन सिंह के बेटे मोहिंदर सिंह को उसकी समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार किए बिना आगे हिरासत में रखना अवैध है, क्योंकि वह पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 516-बी के तहत अनिवार्य न्यूनतम सजा गुजार चुका है।

(ii) प्रतिवादी नंबर 1 को मारू राम के मामले (एआईआर 1980 एस.सी. 2147) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले पर समय से पहले रिहाई पर विचार करने का निर्देश देना;

आगे प्रार्थना है:-

(ए) कि बंदी को समय से पहले रिहाई के लिए सरकार के पास उसके मामले के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए जैसा कि इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1975 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 157 और 1981 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 3140-3157 में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

(बी) कोई अन्य राहत जो इस मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय उचित समझे, उसे भी प्रदान किया जाए;

(सी) इस स्तर पर उत्तरदाताओं को वर्तमान रिट याचिका की अग्रिम नोटिस जारी करने से छुटकारा दिलाया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील वी.के. जिंदल।

राज्य की ओर से के.डी. सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री एस.एस. संधावालिया माननीय मुख्य न्यायमूर्ति -

1. आठ संबंधित आपराधिक रिट याचिकाओं के इस सेट में सार्थक सामान्य प्रश्न जिसके कारण यह संदर्भ आवश्यक हो गया है - क्या आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति उनकी समयपूर्व रिहाई के उद्देश्य से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत अपनी सजा के खिलाफ हिरासत की विचाराधीन अवधि को कम करने के हकदार हैं।

2. इस क्षेत्राधिकार के भीतर, इस मुद्दे पर न्यायिक राय में कुछ विरोधाभास मौजूद है। **दर्शन सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[1], में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 केवल एक अवधि के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों के मामलों पर लागू होती है और इसलिए, आजीवन कारावास के दोषी के संदर्भ में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। नतीजतन, यह माना गया कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला आरोपी व्यक्ति अपनी समयपूर्व रिहाई के प्रयोजनों के लिए विचाराधीन कैदी के रूप में अपनी हिरासत की अवधि को कम करने का दावा नहीं कर सकता है। हालाँकि, **रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[2] में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए एक विपरीत दृष्टिकोण लिया है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत की अवधि को कम करने का हकदार है और साथ ही सरकार द्वारा उसकी समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का भी अधिकार है। दर्शन सिंह के मामले में पहले का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

3. उपरोक्त दो परस्पर विरोधी निर्णयों में अलग-अलग तर्क प्रस्तुत करना अनावश्यक लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान प्रश्न अब **करतार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[3] मामले में लॉर्डशिप द्वारा आधिकारिक रूप से तय किया गया है। न्यायमूर्ति तुलजापुरकर ने सिद्धांत और

[1] 1980 के सीआर डब्ल्यू 52 निर्णय 28 मई 1981 को हुआ।
[2] 1981 का सीआर डब्ल्यू 212 20 जनवरी 1982 को निर्णय लिया गया।

[3] एआईआर 1982 एस.सी. 1439।

मिसाल पर विचार करने के बाद बेंच के लिए बोलते हुए कहा कि धारा 428, आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा सेट-ऑफ़ का लाभ आजीवन दोषियों को उपलब्ध नहीं होगा। उसमें अनुपात के बाद यह माना जाना चाहिए कि रघबीर सिंह का मामला (सुप्रा) सही ढंग से तय नहीं किया गया था और इसे खारिज कर दिया गया है। दर्शन सिंह के मामले (सुप्रा) में दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है।

4. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में 1982 की आपराधिक रिट संख्या 33-जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त है। इसमें याचिकाकर्ता, जिसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, ने अपनी समयपूर्व रिहाई के प्रयोजनों के लिए एक विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए गए एक वर्ष और आठ दिनों की छूट का दावा किया था। स्पष्ट रूप से करतार सिंह के मामले (सुप्रा) के मद्देनजर यह रुख अब टिकाऊ नहीं है। वास्तव में रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील यह स्वीकार करने के लिए काफी निष्पक्ष थे कि उपरोक्त आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर अब उनके पास आग्रह करने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं है। फलस्वरूप रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

5. यह सामान्य आधार है कि अन्य जुड़े मामलों में स्थिति समान है। इन्हें भी तदनुसार विफल होना चाहिए और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।